(31 दिसम्बर 2016 की स्थिति में) (1)

प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष ~~1981~~ ~~को स्थिति~~

1. अधिकारी/~~कर्मचारी~~ का पूरा नाम आर. पी. एस. कटियार 2. वर्तमान धारित पद अति. मुख्य अभि. (सि.) बा. प्र. 3. कार्यालय का नाम मुख्य अभि. (सि. क्रॉस) जबलपुर

4. वर्तमान वेतन रू. 67000/- मू.वे. + रू. 8700/- ग्रे.पे. 5. भविष्य निधि क्रमांक 22722408 6. कर्मचारी संख्या 93970547

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जबलपुर	आवासीय गृह 60×40 प्लाट पर	—	रू. 64 लाख अनुमानित	स्वयं एवं भाई श्री व्ही. पी. कटियार के नाम पर	मां स्व. श्रीमति शकुन्तला कटियार से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति	निरंक	स्वयं के निवास हेतु

हस्ताक्षर [signature]

नाम आर. पी. एस. कटियार

पद अति. मुख्य अभियंता (सिविल) बा. प्र.

* जहां लागू न हो काट दीजिए

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी—मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।

इस कार्यालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न — उपरोक्तानुसार